

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1)(ख) के अन्तर्गत
आबकारी विभाग से सम्बन्धित 16 बिन्दुओं पर लोक प्राधिकारियों से
अपेक्षित सूचनाओं का विवरण

(14) अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरा :-

शीरा उत्पादन एवं उठान, अल्कोहल उत्पादन एवं उठान, राजस्व प्राप्तियों, दुकानों का व्यवस्थापन, बजट आदि की सूचनायें इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी धारित की जाती है।